न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 146/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

मकबुल मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. श्योकत अली पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (वादी)
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (प्रति.सं. 1)

निर्णय दिनांकः— 20.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एंव प्रतिवादी नं 1 एक ही परिवार के सदस्य मृतक गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मदीन व अकमला पत्नी गुलाम मोहम्मद के वंशज है, वादी मृतक गुलाम मोहम्मद व अकमला का पुत्र है व प्रतिवादी नं 1 मृतक गुलाम मोहम्मद व अकमला की मृतक पुत्री गुलाम फातमा का पति है। चक नं 19 एफ.टी.पी खाता संख्या 8/71 मे मृतक गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मदीन के नाम 3.036 है० व खाता सख्या 30/17 में मृतक गुलाम मोहम्मद के नाम 1.341 व अकमला पत्नी गुलाम मोहम्मद के नाम 1.139 है० कृषि भूमि थी। जो गुलाम मोहम्मद व अकमला की मृत्यू उपरान्त उनके वारिसान के नाम से विरास्तन ईन्तकाल दर्ज हो गई जिसमे प्रतिवादी नं 1 को कुल 1/7 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा विरास्तन हक हिस्सा प्राप्त हुआ जो वर्तमान मे खाता सख्या 73/71 व ख़ाता संख्या 30/80 मे दर्ज है। नकल विरास्तन ईन्तकाल व नकल जमाबंदीया हमाराह दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी नं 1 के नाम चक नं 19 एफ.टी.पी वर्तमान खाता सख्या 73/71 मे कुल खाता 6.831 हैं0 में से 2/63 हिस्सा यानि 0.2168 है० व खाता संख्या 30/80 में कुल खाता 6.831 है० में से 181/6831 हिस्सा यानि 0.181 है० कृषि भूमि दर्ज हैं। प्रतिवादी नं 1 अपना विरास्तन हक हिस्सा की कृषि भूमि नहीं लेना चाहता था। उसने अपने विरास्तन हक हिस्सा का त्याग मुझ वादी के पक्ष में कर दिया था व अपने विरास्तन हक हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा मुझ वादी को सौंप दिया था। जिसका वादी विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादी नं 1. से अनुनय विनय की कि अपने विरास्तन हक हिस्सा की कृषि भूमि का मुझे खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अमल दरामद करवा दो, किन्तु प्रतिवादी पहले तो आज कल आज कल करता रहा एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वादी को विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि की काश्त करने के लिए व भूमि विकास हेतू बीज, खाद के लिये ऋण की आवश्यकता बनी रहती है, किन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी नं 1 के नाम दर्ज होने के कारण काफी परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। अतः वादी को प्रतिवादी नं 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुक्सान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया है इन से किसी प्रकार को डायरेक्ट

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अनुतोष नही चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि घोषित किया जावे कि प्रतिवादी नं 1 श्योकत अली के नाम दर्ज चक नं 19 एफ.टी.पी खाता सख्या 73/71 मे कुल खाता 6.831 है0 में से 2/63 हिस्सा व खाता सख्या 30/80 में कुल खाता 6.831 है0 में से 181/6831 हिस्सा का वादी विरासतन खातेदार काश्तकार है। चक नं चक नं 19 एफ.टी.पी खाता सख्या 73/71 में प्रतिवादी नं 1 का 2/63 हिस्सा कम किया जावे व खाता सख्या 30/80 में प्रतिवादी नं 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा भी पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। वकील वादी ने प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण साक्ष्य पेश नही करने का कथन किये जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील वादी ने फार्म नम्बर के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 19 एफटीपी खाता संख्या 73/71 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श–1
2. चक 19 एफटीपी खाता संख्या 30/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श–2
3. चक 19 एफटीपी नामान्तरण संख्या 8/71 दिनांक 25.08.2020 की फोटोप्रति।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 19 एफटीपी खाता संख्या 73/71 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 19 एफटीपी खाता संख्या 30/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 श्योकत अली के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने नामान्तरण संख्या चक 19 एफटीपी नामान्तरण संख्या 8/71 दिनांक 25.08.2020 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आसजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एंव प्रतिवादी नं 1 एक ही परिवार के सदस्य मृतक गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मदीन व अकमला पत्नी गुलाम मोहम्मद के वंशज है, वादी मृतक गुलाम मोहम्मद व अकमला का पुत्र है व प्रतिवादी नं 1 मृतक गुलाम मोहम्मद व अकमला की मृतक पुत्री गुलाम फातमा का पति है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 व 2 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो नामान्तरण संख्या 8/71 दिनांक 25.08.2020 की फोटोप्रति से पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा मय इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 19 एफटीपी खाता संख्या 73/71 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 2/63 हिस्सा एव चक 19 एफटीपी खाता संख्या 30/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 181/6831 दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 04/2026

मकबुल मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 श्योकत अली पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 19 एफटीपी खाता संख्या 73/71 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 2/63 हिस्सा एव चक 19 एफटीपी खाता संख्या 30/80 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में 181/6831 दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय सुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....20.4.2026....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया